

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन विभाग
पंत कृषि भवन
जयपुर

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत सूचना)

अद्यतन दिनांक 30.11.2020

Chapter-I

अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य और कर्तव्य

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी सन् 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई। इससे पूर्व कृषि विपणन का कार्य कृषि विभाग के अन्तर्गत सम्पन्न किया जाता था। वर्ष 1961 में राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 बनाया गया और इसके अन्तर्गत नियमों का प्रकाशन वर्ष 1963 में किया गया। राज्य में वर्ष 1964 में नियमन कार्य प्रारम्भ किया गया। राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने, मण्डी प्रांगणों का निर्माण करने एवं मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, पुलियां आदि निर्माण करने के उद्देश्य से सन् 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1974 से फरवरी, 1980 तक कृषि उपज विपणन का नियमन कार्य, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया।

वर्ष 1980 में राजस्थान राज्य में पृथक से कृषि विपणन निदेशालय बनाया गया एवं कृषि उपज मण्डियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण, मार्गदर्शन, सर्वेक्षण का कार्य एवं निर्माण कार्य साथ-साथ सन् 1980 तक विपणन बोर्ड के पास रहा। निदेशालय की स्थापना के पश्चात् कृषि विपणन बोर्ड का कार्य मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगणों का निर्माण, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, मण्डी सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कृषि विपणन से सम्बन्धित अनुसंधान आदि रखा गया जबकि निदेशालय को मण्डी नियमन, एगमार्क प्रयोगशालाओं की स्थापना, व्यावसायिक वर्गीकरण, बजट स्वीकृतियां, मण्डी परिज्ञान एवं मूल्यांकन, सामान्य प्रशासन एवं संस्थापन का कार्य सौंपा गया। तभी से उपरोक्त कार्य विभाजन के आधार पर विपणन बोर्ड एवं विपणन निदेशालय अपने-अपने क्षेत्र में कृषि विपणन व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का सम्पादन करते आ रहे हैं।

विभाग का ढांचा

समिति द्वारा विभाग तथा उसके संयुक्त अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं के संगठन के ढांचे संबंधी जानकारी चाहने पर विभाग ने सूचित किया, जो निम्न प्रकार है:—

क्र.स.	नाम पद	स्वीकृति पदों की संख्या	कैडर
1.	निदेशक	1	भारतीय प्रशासनिक सेवा / राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा
3.	वित्तीय सलाहकार	1	राजस्थान लेखा सेवा
4.	संयुक्त निदेशक	8	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा

5.	उप निदेशक, कृषि विपणन	23	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
6.	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
7.	सहायक निदेशक	47	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
8.	उप विधि परामर्शी	1	राजस्थान विधि सेवा
9.	विपणन अधिकारी	74	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा
10.	लेखाधिकारी	2	राजस्थान लेखा सेवा
11.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	मंत्रालयिक सेवा
12.	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	102	राजस्थान कृषि विपणन अधीनस्थ सेवा

राजपत्रित शाखा में स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	01	01	00
2.	अतिरिक्त निदेशक	01	01	00
3.	वित्तीय सलाहकार	01	01	00
4.	संयुक्त निदेशक	08	08	00
5.	उप निदेशक	23	22	01
6.	उप विधि परामर्शी	01	01	00
7.	उप निदेशक सांख्यिकी	01	00	01
8.	सहायक निदेशक	47	31	16
9.	विपणन अधिकारी	74	34	40
10.	सहायक लेखाधिकारी-1	01	01	00
11.	लेखाधिकारी	02	02	00
12.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	00
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	03	02	01
	योग	164	105	59

अराजपत्रित शाखा में स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
1.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	10	06	04
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	00	01
3.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	04	03	01
4.	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	102	33	69
5.	निजी सहायक	01	00	01
6.	सहायक लेखाधिकारी-1A	18	15	03
7.	कनिष्ठ लेखाकार	03	03	00
8.	शीघ्र लिपिक	01	00	01

9.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00
10.	संगणक	06	05	01
11.	सूचना सहायक	01	02	+01
12.	रसायनज्ञ	08	00	08
13.	सहायक रसायनज्ञ	08	03	05
14.	वरिष्ठ सहायक	17	13	04
15.	कनिष्ठ सहायक	25	20	05
16.	वाहन चालक	02	01	01
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	06	13
18.	प्रयोगशाला सहायक	01	01	00
19.	प्रयोगशाला अनुचर	06	01	05
20.	जमादार	01	00	01
	योग	235	113	122

विभाग की कार्य प्रणाली

इस विभाग का कार्य कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को नियमित करना है, जिसके सुचारु रूप से संचालन हेतु निदेशालय एवं खण्डीय स्तरों पर किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

निदेशालय द्वारा सम्पादित कार्य

1. मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों/मण्डी समितियों का कार्मिक एवं संस्थापन कार्य
2. कृषि उपज मण्डी समितियों पर प्रशासनिक नियंत्रण
3. कृषि उपजों के क्रय-विक्रय का नियमन
4. कृषि उपज मण्डी समितियों पर वित्तीय नियंत्रण
5. मण्डी प्रांगणों हेतु भूमि अवाप्ति, परियोजना सृजन एवं दुकान भूखण्डों के आवंटन
6. सम्पर्क सड़कों एवं परियोजना कार्यों के प्रस्तावों का नीति अनुसार परीक्षण कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना
7. मण्डी परिज्ञान, भावों का प्रसारण एवं प्रचार
8. एगमार्क एवं वर्गीकरण
9. मण्डी शुल्क आय पर प्रभावी नियंत्रण

विभागीय कार्यों के निष्पादन एवं मण्डी समितियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य में 10 खण्ड कार्यालय है जहां निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:—

1. खण्ड की मण्डियों पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण
2. नियमन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना
3. प्रत्योजित संस्थापन कार्य
4. मण्डी शुल्क आय पर नियंत्रण एवं शुल्क अपवंचन को रोकना
5. वाद शमन अर्थात् किसान एवं व्यापारियों के मध्य एवं मण्डी शुल्क अपवंचन संबंधी विवादों का निष्पादन
6. भूखण्ड/दुकानों का आवंटन
7. अभाव अभियोग एवं जांच निष्पादन

Chapter-II

(अ) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

क्र.सं.	पद नाम	शक्तियां
1	विभागाध्यक्ष / निदेशक	विभागाध्यक्ष की शक्तियां
2	कार्यालयाध्यक्ष / अति. निदेशक	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
3	वित्तीय सलाहकार	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
4	संयुक्त निदेशक	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
5	उप / सहायक निदेशक, मुख्यालय	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार
6	संयुक्त / उप निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष) खण्ड कार्यालय	राज. सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राज. राज्य कृषि विपणी अधिनियम राज. अधीनस्थ सेवा नियम, राज. अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के अनुसार

(ब) अधिकारियों और कर्मचारियों का कर्तव्य/आवंटित कार्य

क्र.स.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	आवंटित कार्य
1	श्री तारा चन्द मीना (आई.ए.एस.)	निदेशक	विभागाध्यक्ष
2	श्रीमति आशु चौधरी (आर.ए.एस.)	अतिनिदेशक	कार्यालयध्यक्ष, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी प्राथमिक/विभागीय/मण्डी कर्मचारी जांच, विधि एवं स्टोर शाखा के पीठासीन अधिकारी ।
3	श्री अचलेश्वर मीणा	वित्तीय सलाहकार	लेखा शाखा, मण्डी कर्मचारी पेंशन/पेंशन भुगतान/पेंशन खाता संधारण/पेंशन पुनर्भरण एवं पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य/लोक उपापन नियम 2013(एस.पी.पी.पी.), मण्डी कर्मचारी पेंशन अंशदान चेक/ड्राफ्ट चालान द्वारा जमा कराना/खाता संधारण/नवीन पेंशन अंशदायी योजना (एन.पी.एस) कार्य ।
4	श्री बी.एल.मीना	संयुक्त निदेशक	संस्थापन शाखा(राजपत्रित/अराजपत्रित),मण्डी कर्मचारी संस्थापन शाखा, मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि (कोष) कार्य
5	श्री संजय व्यास	संयुक्त निदेशक	मण्डी नियमन/मण्डी चुनाव/नियम/अधिनियम/मोडल एक्ट, परियोजना संबंधित कार्य,कृषक दुगुनी आय/निजी मण्डी स्थापना, एकल अनुज्ञापत्र आदि कार्य ।
6	श्री चिमन सिंह ढाका	उप विधि परामर्शी	विधि शाखा
7	श्री केसर सिंह	उप निदेशक	ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) कार्य, रिसर्जेंट राजस्थान/कम्प्युटर शाखा(ई-गवर्नेंस)/ई-नाम/रिम्स परियोजना (RIMMS)/राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना/नवाचार आदि कार्य
8	श्री टी.आर. मीना	उप निदेशक	आवंटन (कृषि प्रसंस्करण आवंटन) सहित
9	श्री हरिनारायण यादव	उप निदेशक	आहरण वितरण/रोकड़/बिल शाखा/डी.डी.ओ. /डिस्ट्रिक ट्रेजरी आफिसर (डी.टी.ओ), राजीव गांधी कृषक साथी योजना, किसान कलेवा, एवं ज्योति राव फुले श्रमिक कल्याण योजना, सर्वे एवं सतर्कता/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ
10	श्री पी.के. गुप्ता	उप निदेशक (सांख्यिकी) अतिरिक्त चार्ज	सांख्यिकी शाखा/परिज्ञान एवं वर्गीकरण शाखा/मोनितरिंग शाखा/मा0 मंत्रीगण/सांसदों /विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की मोनितरिंग/जनघोषणा/बजट घोषणा संबंधित कार्य/सी.एम.आई.एस एवं विविध कार्य, खण्डों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं मिलान, मण्डी शुल्क संग्रहण पर्यवेक्षण कार्य ।

11	श्री प्रफुल्ल पारिक	सहायक निदेशक	विधान सभा, सूचना का अधिकार/राजस्थान लोक सेवा गारन्टी टाईम्स के दोरे संबंधित कार्य, यात्रा अनुमोदन, अपील शाखा, उपस्थिति प्रमाणपत्र,
12	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक निदेशक	स्टोर शाखा, मण्डी नियमन (सुविधा), किसान भवन, कृषक विश्राम गृह, ग्रामीण गोदाम/पैक हाउस/कोल्ड स्टोरेज आदि।
13	श्री नन्दलाल वर्मा	लेखाधिकारी	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि/हजार्ड फण्ड, लेखा शाखा /मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि कोष
14	श्री अखिल गुप्ता	लेखाधिकारी	लेखा शाखा के प्रभारी अधिकारी, मण्डी कर्मचारी पेंशन/पेंशन भुगतान /पेंशन खाता संधारण/पेंशन पुर्नभरण/मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि कोष
15	श्री अशोक कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)	लेखा संबंधी
16	श्री कैलाश चन्द सिंघल	विपणन अधिकारी	निजी मण्डियां/ई मण्डियां/एकल अनुज्ञापत्रधारी/विशिष्ट अनुज्ञापत्र/बजट घोषणा/जन घोषणा आदि कार्य एवं संयुक्त निदेशक (नियमन) द्वारा आवश्यकतानुसार आवंटित कार्य
17	श्रीमती सरोज मीणा	विपणन अधिकारी	आवंटन शाखा
18	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी	मण्डी नियमन/नियम /अधिनियम/मण्डी चुनाव/कृषक दुगनी आय/नियमन शाखा/मण्डी सुविधा
19	श्रीमती संतोष कांसनिया	विपणन अधिकारी	भूमि अवाप्ति/विधान सभा शाखा
20	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
21	श्रीमती ओ.बी. रोहेला	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट/ग्राम/ई-नेम/रिप्स/रिम्स आर.आर.
22	श्री जितेन्द्र कुमार जलूथरिया	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	किसान भवन/कृषक विश्राम गृह/पीपी प्रोजेक्ट परियोजना/मण्डी चुनाव/ महात्मा ज्योतिबां फूले श्रमिक कल्याण योजना/किसान कलेवा।

Chapter-III

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियमों / नियमों यथा – राज्य सेवा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 व राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के प्रावधानानुसार निर्णय लिये जाते हैं ।

पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम :-

कृषि विपणन के क्षेत्र में निदेशक, कृषि विपणन के निर्देशन में खण्ड कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक एवं कृषि उपज मण्डी समिति स्तर पर सचिव कृषि उपज मण्डी समिति एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम/नियम के सुचारु रूप से संचालन एवं उसके पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

Chapter-IV

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

क्र.सं.	शाखा का नाम	पीठासीन/प्रभारी अधिकारी
1.	कार्यालयध्यक्ष, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी प्राथमिक/विभागीय/मण्डी कर्मचारी जांच, विधि एवं स्टोर शाखा के पीठासीन अधिकारी ।	अतिरिक्त निदेशक
2.	लेखा शाखा, मण्डी कर्मचारी पेंशन/पेंशन भुगतान/पेंशन खाता संधारण/पेंशन पुनर्भरण एवं पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य/लोक उपापन नियम 2013(एस.पी.पी.पी.), मण्डी कर्मचारी पेंशन अंशदान चेक/ड्राफ्ट चालान द्वारा जमा कराना/खाता संधारण/नवीन पेंशन अंशदायी योजना (एन.पी.एस) कार्य ।	वित्तीय सलाहकार
3.	संस्थापन शाखा(राजपत्रित/अराजपत्रित),मण्डी कर्मचारी संस्थापन शाखा, मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि (कोष) कार्य, मण्डी नियमन/मण्डी चुनाव/नियम/अधिनियम/मॉडल एक्ट, परियोजना संबंधित कार्य,कृषक दुगुनी आय/निजी मण्डी स्थापना, एकल अनुज्ञापत्र आदि कार्य ।	संयुक्त निदेशक
4.	ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) कार्य, रिसर्जेंट राजस्थान/कम्प्युटर शाखा(ई-गवर्नेंस)/ई-नाम/रिम्स परियोजना (RIMMS)राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना/नवाचार आदि कार्य, आंवटन (कृषि प्रसंकरण आंवटन) सहित, आहरण वितरण/रोकड़/बिल शाखा/डी.डी.ओ./डिस्ट्रिक ट्रेजरी आफिसर (डी.टी.ओ), राजीव गांधी कृषक साथी योजना, किसान कलेवा, एवं ज्योति राव फुले श्रमिक कल्याण योजना, सर्वे एवं सतर्कता/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल/जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ।	उप निदेशक
5.	सांख्यिकी शाखा/परिज्ञान एवं वर्गीकरण शाखा/मोनिटरिंग शाखा/मा0 मंत्रीगण/सांसदों /विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की मोनिटरिंग/जनघोषणा/बजट घोषणा संबंधित कार्य/सी.एम. आई.एस एवं विविध कार्य, खण्डों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं मिलान, मण्डी शुल्क संग्रहण पर्यवेक्षण कार्य ।	उप निदेशक (सांख्यिकी)
6.	विधान सभा, सूचना का अधिकार/राजस्थान लोक सेवा गारन्टी, टाईम्स के दौरे संबंधित कार्य, यात्रा अनुमोदन, अपील शाखा, उपस्थिति प्रमाणपत्र, स्टोर शाखा, मण्डी नियमन (सुविधा), किसान भवन, कृषक विश्राम गृह, ग्रामीण गोदाम/पैक हाउस/कोल्ड स्टोरेज आदि ।	सहायक निदेशक
7.	विधि शाखा से संबंधित कार्य – वादों की सूचना, कोर्ट द्वारा पारित किए गए निर्णय, कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की सूचना एवं विभाग से संबंधित समस्त विधिक राय ।	उप विधि परामर्शी

Chapter-V

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

1. राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961
2. राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963
3. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम 1987
4. राजस्थान कृषि उपज विपणन (मण्डी समितियों द्वारा अंशदान) नियम, 1974
5. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975
6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी सेवा (पेंशन) नियम, 1995
7. राजस्थान मण्डी कर्मचारी कल्याण निधि नियम, 1993
8. अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2005
9. कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010

Chapter-VI

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों/प्रकोष्ठों का विवरण

➤ **प्रशासनिक प्रकोष्ठ :-**

1. संस्थापन कार्य
2. वरिष्ठता सूची जारी करना
3. पदोन्नति आदेश
4. स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश
5. संस्थापन शाखा से जारी परिपत्र
6. वेतन स्थरीकरण

➤ **लेखा प्रकोष्ठ :-**

1. विभागीय बजट मण्डी बजट (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां)
2. विभागीय अंकेक्षण
3. महालेखाकार, निरीक्षण की पालना
4. मण्डी विकास कोष से संबंधित पेंशन/पेंशन कोष से संबंधित
5. मण्डी कर्मचारी कल्याण कोष

➤ **जांच प्रकोष्ठ:-**

1. विभागीय जांच
2. प्राथमिक जांच
3. मण्डी कर्मचारी जांच

➤ **नियमन प्रकोष्ठ:-**

1. मण्डी नियमन
2. अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव भेजना
3. निजी उप ई-मार्केट एवं उप निजी मण्डियों का अनुज्ञापत्र जारी करना
4. मण्डी सुविधा
5. नवीन मण्डी/गौण मण्डी की स्थापना

➤ **भूमि अवाप्ति प्रकोष्ठ:-**

कृषि उपज मण्डी समितियों के मुख्य/गौण मण्डी यार्डों की भूमि अवाप्ति/आवंटन संबंधी कार्यवाही का पर्यवेक्षण

➤ **आवंटन प्रकोष्ठ :-**

1. भूखण्ड एवं दुकानों के आवंटन का अनुमोदन
2. आवंटन नीति का निर्धारण
3. भूखण्ड एवं दुकानों का नाम परिवर्तन, किराया निर्धारण करवाना

➤ **विधि प्रकोष्ठ :-**

1. वादों की सूचना
2. कोर्ट द्वारा पारित किए गये निर्णय
3. कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों की सूचना
4. विभाग से संबंधित समस्त विधिक राय

➤ **सांख्यिकी प्रकोष्ठ :-**

1. विभागीय सांख्यिकी सूचना
2. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
3. आवक मूल्यांकन
4. मण्डी शुल्क प्रगति
5. विभागीय / राज्य स्तरीय बैठक

➤ **परिज्ञान प्रकोष्ठ:-**

1. कृषि जिन्सों के मण्डी दैनिक भाव आवक

➤ **एगमार्क प्रकोष्ठ :-**

1. गुण नियन्त्रण एवं वर्गीकरण कार्य

➤ **योजना प्रकोष्ठ :-**

1. राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना
2. किसान कलेवा
3. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना

➤ **सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ :-**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन
2. प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील

➤ **विधान सभा प्रकोष्ठ :-**

1. विधान सभा प्रश्न / आश्वासन / याचिका
2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव / विशेष उल्लेख प्रस्ताव
3. लोक सभा प्रश्न
4. राज्य सभा प्रश्न

➤ **ई-नाम (e - NAM) प्रकोष्ठ :-**

1. कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक एवं व्यापारी के पंजीकरण
2. आवक के प्रवेश पत्र / परख जांच
3. गुणवत्ता जांच
4. ई-निलामी
5. ई-भुगतान आदि कार्य

Chapter-VII

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

विभाग से संबंधित नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर ही नीति निर्धारित की जाती है एवं क्रियान्वयन किया जाता है। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त अभाव अभियोगों को प्राथमिकता से एवं नियमान्तर्गत निस्तारण किया जाता है।

Chapter-VIII

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार का लोक जन सेवा का कार्यालय है। विभाग की अधिनस्थ सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में 17 सदस्यों की (12 निर्वाचित, 5 मनोनीत), विशिष्ट व "अ" श्रेणी मण्डी समिति तथा 11 सदस्यों की (8 निर्वाचित, 3 मनोनीत) मण्डी समितियों का गठन किया गया है। कृषकों की कृषि विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण तथा कृषि उपज मण्डियों में विपणन सुविधाओं के विकास हेतु इन मण्डी समितियों द्वारा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिये जाते हैं तथा प्रस्ताव का अनुमोदन निदेशालय स्तर पर किया जाता है।

वर्तमान में राजस्थान कृषि उपज मण्डी समितियों में नियुक्त प्रशासक

क्र.स.	नाम कृषि उपज मण्डी समिति	वर्तमान नियुक्त प्रशासक
1	अजमेर (फ.स.)	अति. जिला कलक्टर (शहर) अजमेर
2	अजमेर (अनाज)	अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
3	ब्यावर	उप खण्ड अधिकारी, मसूदा
4	बिजयनगर	उप खण्ड अधिकारी, मसूदा
5	मदनगंज किशनगढ	उप खण्ड अधिकारी, मदनगंज किशनगढ
6	गंगापुर	उप खण्ड अधिकारी, गंगापुर
7	माण्डलगढ	उप खण्ड अधिकारी, माण्डलगढ
8	बिजौलिया	उप खण्ड अधिकारी, बिजौलिया
9	देवली	उप खण्ड अधिकारी, देवली
10	मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा
11	टोंक	उप खण्ड अधिकारी, टोंक
12	उनियारा	उप खण्ड अधिकारी, उनियारा
13	धौलपुर	सहायक कलक्टर, धौलपुर
14	खाजूवाला	उप खण्ड अधिकारी, खाजूवाला

15	लूणकरणसर	उप खण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
16	श्रीडूंगरगढ	उप खण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ
17	चूरु	उप खण्ड अधिकारी, चूरु
18	रतनगढ	उप खण्ड अधिकारी, रतनगढ
19	सादुलपुर	उप खण्ड अधिकारी, राजगढ
20	सरदार शहर	उप खण्ड अधिकारी, सरदार शहर
21	सुजानगढ	उप खण्ड अधिकारी, सुजानगढ
22	भादरा	उप खण्ड अधिकारी, भादरा
23	गोलूवाला	उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
24	नोहर	अति. जिला कलक्टर, नोहर
25	पीलीबंगा	उप खण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
26	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी, सादुलशहर
27	सूरतगढ	उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ
28	बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई
29	दौसा	अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा
30	लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट
31	महुआ मण्डावर	उप खण्ड अधिकारी, महुआ
32	मण्डावरी	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट
33	चाकसू	उप खण्ड अधिकारी, चाकसू
34	किशनगढ रेनवाल	संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड जयपुर।
35	बालोतरा	उप खण्ड अधिकारी, बालोतरा
36	बाडमेर	अति. जिला कलक्टर, बाडमेर
37	जैसलमेर	अति. जिला कलक्टर, जैसलमेर
38	भीनमाल	उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल
39	जालौर	उप खण्ड अधिकारी, जालौर
40	सांचोर	उप खण्ड अधिकारी, सांचौर
41	बिलाडा	उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा
42	पीपाडसिटी	उप खण्ड अधिकारी, पीपाडशहर
43	जैतारण	उप खण्ड अधिकारी, जैतारण
44	पाली	अति. जिला कलक्टर, पाली
45	रानी	उप खण्ड अधिकारी, रानी
46	सोजत रोड	उप खण्ड अधिकारी, सोजतसिटी
47	सुमेरपुर	उप खण्ड अधिकारी, सुमेरपुर
48	अटरू	उप खण्ड अधिकारी, अटरू
49	बांरा	अति. जिला कलक्टर, बांरा
50	छबडा	उप खण्ड अधिकारी, छबडा
51	बूंदी	अति. जिला कलक्टर, बूंदी
52	केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन
53	सुमेरगंज	उप खण्ड अधिकारी, लाखेरी

54	भवानीमण्डी	उप खण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी
55	इकलेरा	उप खण्ड अधिकारी, इकलेरा
56	झालरापाटन	अति. जिला कलक्टर, झालावाड
57	खानपुर	उप खण्ड अधिकारी, खानपुर
58	हिण्डौन	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी
59	रामगंजमण्डी	उप खण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी
60	गंगापुरसिटी	उप खण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी
61	सवाईमाधोपुर	अति. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर
62	चिडावा	उप खण्ड अधिकारी, चिडावा
63	झुञ्झूनू	अति. जिला कलक्टर, झुञ्झूनू
64	नवलगढ	उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ
65	सूरजगढ	उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ
66	डीडवाना	अति. जिला कलक्टर, डीडवाना
67	डेगाना	उप खण्ड अधिकारी, डेगाना
68	कुचामनसिटी	उप खण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी
69	नागौर	अति. जिला कलक्टर, नागौर
70	फतेहपुर	उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर
71	नीमकाथाना	उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
72	श्रीमाधोपुर	उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
73	अनूपगढ	उप खण्ड अधिकारी, अनुपगढ
74	गजसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी, पदमपुर
75	घडसाना	उप खण्ड अधिकारी, घडसाना
76	केसरीसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर
77	पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी, पदमपुर
78	रावला	उप खण्ड अधिकारी, घडसाना
79	रिडमलसर	उप खण्ड अधिकारी, पदमपुर
80	श्रीगंगानगर (अनाज)	अति. जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर
81	श्रीगंगानगर (फल-सब्जी)	अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
82	श्रीविजयनगर	अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ
83	बांसवाडा	अति. जिला कलक्टर, बांसवाडा
84	बडी सादडी	उप खण्ड अधिकारी, बडी सादडी
85	बेगू	उप खण्ड अधिकारी, बेगू
86	चित्तौडगढ	अति. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ
87	कपासन	उप खण्ड अधिकारी, कपासन
88	निम्बाहेडा	उप खण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
89	प्रतापगढ	अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ
90	डूंगरपुर	उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
91	राजसमन्द	अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द
92	आबूरोड	उप खण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

93	फतहनगर	उप खण्ड अधिकारी, मावली
94	चौमहला	उपखण्ड अधिकारी, गंगधार
95	भरतपुर	अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, भरतपुर
96	डींग	अति. जिला कलक्टर, डींग
97	कांमा	उपखण्ड अधिकारी, कांमा
98	नदबई	उपखण्ड अधिकारी नदबई
99	बीकानेर (अनाज)	अति. जिला कलक्टर, प्रशासन बीकानेर
100	बीकानेर (फ.स.)	अति. जिला कलक्टर शहर, बीकानेर
101	नोखा	उपखण्ड अधिकारी, नोखा
102	अलवर	अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, अलवर
103	कोटपूतली	अति. जिला कलक्टर, कोटपूतली
104	जयपुर (अनाज)	महाप्रबन्धक, प्रशासन, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
105	जयपुर (फ.स.)	अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग
106	संगरिया	उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
107	फलोदी	उपखण्ड अधिकारी, फलोदी
108	नगर	उपखण्ड अधिकारी, नगर
109	केकडी	उपखण्ड अधिकारी, केकडी
110	बयाना	उपखण्ड अधिकारी, बयाना
111	सीकर	अति. जिला कलक्टर, सीकर
112	भीलवाडा	अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), भीलवाडा
113	रायसिंहनगर	उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर
114	श्रीकरणपुर	उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर
115	उदयपुर (अनाज)	अति. जिला कलक्टर, शहर, उदयपुर
116	मेडता सिटी	उपखण्ड अधिकारी, मेडता सिटी
117	निवाई	उपखण्ड अधिकारी, निवाई
118	खैरथल	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास
119	इटावा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा
120	चौमू	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
121	बस्सी	उपखण्ड अधिकारी, बस्सी
122	दूनी	उपखण्ड अधिकारी, देवली
123	बज्जू	उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
124	गुढागौडजी	उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
125	पलसाना	उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
126	छोटीसादडी	उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
127	कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) भगत की कोठी, जोधपुर	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन खण्ड-जोधपुर

128	रानीवाडा	उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा
129	कोटा(अनाज)	ए.डी.एम.(प्रशासन) कोटा
130	महवा	उपखण्ड अधिकारी, महवा
131	शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा(भीलवाडा)
132	उदयपुर(फ.स.)	जिला कलक्टर, उदयपुर
133	खेरली	उपखण्ड अधिकारी, कटूमर
134	चौमूं (फ.स.)	उपखण्ड अधिकारी, चौमूं
135	देई	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां
136	रावतसर	उपखण्ड अधिकारी, रावतसर
137	जोधपुर (फ.स.)	अध्यक्ष, अनु कटारिया
138	जोधपुर (अनाज)	अध्यक्ष, जगराम बिश्नोई
139	जैतसर	अध्यक्ष, सविता जैसल
140	बडौदामेव	अध्यक्ष, फूलचन्द मीना
141	कोटा(फ.स.)	अध्यक्ष, ओम मालव
142	अन्ता	अध्यक्ष, कान्ही बाई
143	हनुमानगढ	अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ
144	राजधानी मण्डी, कुकरखेडा	अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर(दक्षिण)

Chapter-IX

अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम
1	श्री तारा चन्द मीना	निदेशक (दूरभाष नं. 2227115)
2	श्रीमती आशु चौधरी	अतिरिक्त निदेशक (दूरभाष नं. 2227835)
3	श्री अचलेश्वर मीणा	वित्तीय सलाहकार (दूरभाष नं. 2227850)
4	श्री बी.एल.मीना	संयुक्त निदेशक (दूरभाष नं. 2227640)
5	श्री संजय कुमार व्यास	संयुक्त निदेशक
6	श्री चिमन लाल	उप विधि परामर्शी
7	श्री हरिनारायण यादव	उप निदेशक
8	श्री केसर सिंह	उप निदेशक (दूरभाष नं. 2227785)
9	श्री टी.आर.मीना	उप निदेशक
10	श्री प्रफुल्ल पारीक	सहायक निदेशक
11	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक निदेशक
12	श्री नन्दलाल वर्मा	लेखाधिकारी
13	श्री अखिल गुप्ता	लेखाधिकारी
14	श्री कैलाश चन्द सिंघल	विपणन अधिकारी
15	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी
16	श्रीमती सरोज मीना	विपणन अधिकारी
17	श्रीमती संतोष कासनिया	विपणन अधिकारी
18	श्री अनिल कुमार मेहता	प्रशासनिक अधिकारी
19	श्री महावीर प्रसाद मीना	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
20	श्री नवीन भारद्वाज	सहा. सांख्यिकी अधिकारी
21	श्री अरूण कुमार गुप्ता	सहा. सांख्यिकी अधिकारी
22	श्री प्रवीण कुमार	सहा. सांख्यिकी अधिकारी
23	श्रीमती ओ.बी.रोहेला	कनिष्ठ विपणन अधिकारी
24	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विपणन अधिकारी
25	श्री बाबूलाल यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
26	श्री रविन्द्र यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी
27	श्री गणेश ब्रह्म भट्ट	वरिष्ठ सहायक
28	श्री इन्द्र सिंह शेखावत	वरिष्ठ सहायक
29	श्रीमती अन्जना	वरिष्ठ सहायक
30	श्री राजू लाल शर्मा	वरिष्ठ सहायक

31	श्री कृष्णकांत शर्मा	वरिष्ठ सहायक
32	ख्याती माटा	सूचना सहायक
33	सोनिका बोहरा	सूचना सहायक
34	श्री नीतिश व्यास	कनिष्ठ सहायक
35	श्री गोविन्द शर्मा	कनिष्ठ सहायक
36	श्री मनीष मिश्रा	कनिष्ठ सहायक
37	श्री शैलेन्द्र भार्गव	कनिष्ठ सहायक
38	श्री अजय कुमार किराड़	कनिष्ठ सहायक
39	श्री राजदीप सिंह नरुका	कनिष्ठ सहायक
40	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक
41	श्री नरेन्द्र कुमार गौड़	कनिष्ठ सहायक
42	श्री कपिल शर्मा	कनिष्ठ सहायक
43	श्री सागर सोनी	कनिष्ठ सहायक
44	श्री रामदयाल गुर्जर	कनिष्ठ सहायक
45	श्री पंकज यादव	कनिष्ठ सहायक
46	श्री झब्बर सिंह	वाहन चालक
47	श्री उदयलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
48	श्री भगवान सहाय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
49	श्रीमती मधुली	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
50	श्री रमेश कुमार मीना	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
51	श्री अशोक कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

Chapter-X

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित हो।

क्र. सं.	नाम अधिकारी / कार्मिक	पद	मूल वेतन (रूपयों में)
1	श्री तारा चन्द मीणा	निदेशक	159300
2	श्री अचलेश्वर मीणा	वित्तीय सलाहकार	174100
3	श्रीमती आशु चौधरी	अति. निदेशक	126800
4	श्री बी. एल. मीना	संयुक्त निदेशक	117200
5	श्री संजय व्यास	संयुक्त निदेशक	113800
6	श्री टी. आर. मीना	उप निदेशक	108000
7	श्री हरिनारायण यादव	उप निदेशक	111200
8	श्री केसर सिंह	उप निदेशक	111200
9	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक निदेशक	81500
10	श्री प्रफुल्ल पारीक	सहायक निदेशक	86400
11	श्री कैलाश चन्द सिंघल	विपणन अधिकारी	82400
12	श्री चिमन सिंह ढाका	उप विधि परामर्शी	82300
13	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ विधि सहायक	36900
14	श्रीमती प्रीति बैरवा	विपणन अधिकारी	65000
15	श्रीमती सरोज मीणा	विपणन अधिकारी	65000
16	श्रीमती संतोष कासनिया	विपणन अधिकारी	59500
17	श्री जितेन्द्र कुमार जलूथरिया	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	57200
18	श्रीमती रजनी	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	49900
19	श्रीमती ओबी रोहेला	कनिष्ठ विपणन अधिकारी	51400

20	श्री अखिल अग्रवाल	लेखाधिकारी	57800
21	श्री नन्द लाल वर्मा	लेखाधिकारी	80000
22	श्री अशोक कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी I	85100
23	श्री चन्द्र शेखर सारस्वत	सहायक लेखाधिकारी II	77900
24	श्री ललित जैन	सहायक लेखाधिकारी I	73200
25	श्री अशोक कुमार बुनकर	सहायक लेखाधिकारी II	71100
26	श्री छीतर मल जाट	सहायक लेखाधिकारी II	71100
27	श्री घनश्याम शर्मा	सहायक लेखाधिकारी II	73200
28	श्री गोपाल सिंह शेखावत	सहायक लेखाधिकारी II	67000
29	श्री चन्द्र शेखर आजाद	सहायक लेखाधिकारी II	71100
30	श्रीमती पूजा देवी यादव	कनिष्ठ लेखाकार	34800
31	श्री दिनेश सैनी	कनिष्ठ लेखाकार	34800
32	श्रीमती सीमा यादव	कनिष्ठ लेखाकार	34800
33	श्री अरुण कुमार गुप्ता	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	80200
34	श्री नवीन भारद्वाज	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	75600
35	श्री प्रवीन कुमार	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	26500
36	श्री अनिल कुमार मेहता	प्रशासनिक अधिकारी	71100
37	श्री महावीर प्रसाद मीणा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	50800
38	श्री बाबूलाल यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	48100
39	श्री रविन्द्र कुमार यादव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	48100
40	श्री इन्द्र सिंह शेखावत	वरिष्ठ सहायक	48100
41	श्री श्रीगणेश ब्रह्मभट्ट	वरिष्ठ सहायक	48100
42	श्री राजू लाल शर्मा	वरिष्ठ सहायक	48100

43	श्रीमती अंजना कुमारी	वरिष्ठ सहायक	36400
44	श्री कृष्ण कान्त शर्मा	वरिष्ठ सहायक	28700
45	सोनिका बोहरा	सूचना सहायक	31400
46	ख्याति माटा	सूचना सहायक	31400
47	श्री अर्जुन सिंह चौधरी	संगणक	18500
48	श्री राधेश्याम जाट	संगणक	18500
49	श्री मोहित कुलदीप	संगणक	18500
50	दीपिका यादव	संगणक	18500
51	श्री नितिश व्यास	कनिष्ठ सहायक	34300
52	श्री गोविन्दा शर्मा	कनिष्ठ सहायक	24100
53	श्री मनीष मिश्रा	कनिष्ठ सहायक	22700
54	श्री नरेन्द्र कुमार गौड़	कनिष्ठ सहायक	14600
55	श्री राजदीप सिंह नरुका	कनिष्ठ सहायक	21400
56	श्री सागर सोनी	कनिष्ठ सहायक	14600
57	श्री कपिल शर्मा	कनिष्ठ सहायक	14600
58	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	14600
59	श्री रामदयाल गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	14600
60	श्री शैलेन्द्र भार्गव	कनिष्ठ सहायक	14600
61	श्री पंकज यादव	कनिष्ठ सहायक	14600
62	श्री अजय कुमार किराड़	कनिष्ठ सहायक	14600
63	श्री झब्बर सिंह	वाहन चालक	38600
64	श्री भगवान सहाय	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	35700
65	श्री उदय लाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	35700

66	श्रीमती मधुली देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	34700
67	श्री रमेश मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23400
68	श्री अशोक कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19900

Chapter-XI

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर
(लेखा शाखा)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में (सितम्बर, 2020 तक) विभाग को आवंटित बजट व उसमें से अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित बजट का विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र. स.	मद	निदेशन एवं प्रशासन		एगमार्क प्रयोगशालाएँ	
		बजट	व्यय	बजट	व्यय
1.	वेतन	1050.00	946.00	83.00	81.00
2.	यात्रा व्यय	3.00	1.30	2.00	1.40
3.	चिकित्सा व्यय	3.00	2.00	0.50	0.50
4.	कार्यालय व्यय	13.00	10.20	1.00	0.70
5.	कार्यालय वाहन संधारण	1.20	1.20	-	-
6.	किराया दर एवं कर रोयल्टियां	0.60	0.55	-	-
7.	वाहन किराया	32.00	31.10	-	-
8.	लेखन सामग्री	3.00	3.00	-	-
9.	मुद्रण	0.20	0.20	-	-
10.	संविदा व्यय	1.35	1.35	-	-
11.	सामग्री एवं प्रदाय	-	-	0.30	0.25
12.	वर्दी एवं अन्य सुविधाएं	0.14	0.13	0.04	-
	योग:-	1107.49	997.03	86.84	83.85

Chapter-XII

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

E-National Agricultural Marketing (e-NAM)

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार

- राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM) के माध्यम से कृषकों को उन की कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है।
- वर्तमान में समस्त 144 कृषि उपज मण्डी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) लागू है।
- भारत सरकार द्वारा ई-नाम परियोजना के अंतर्गत आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर व असेयिंग लेब के लिए प्रथम चरण में प्रति मण्डी राशि 30 लाख रु. तथा क्लीनिंग ग्रेडिंग सोर्टिंग व पैकेजिंग एवं कम्पोस्ट यूनिट सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिमण्डी 45 लाख रु. अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
- इस राशि से मण्डी समितियों में आईटी उपकरण, ऑयल टेस्टिंग मशीन, फिजीकल ग्रेन एनालाईजर (मोरफोलॉजी), क्लीनिंग एवं सोर्टिंग मशीनें, वेईंग स्केल मशीनें इत्यादि के उपापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- इस परियोजना में कृषक, व्यापारी के पंजीकरण, आवक के प्रवेश-पत्र, परख-जांच, ई-निलामी, ई-भुगतान आदि कार्य किए जा रहे हैं।
- ई-नाम परियोजना अन्तर्गत माह नवम्बर 2020 तक 31,65,340 लोट्स की आवक व 14,93,095 लोट्स का ई-ट्रेड तथा 6499 ई-भुगतान किये गये।
- इस परियोजना के अंतर्गत 13,57,693 किसान व 33,657 व्यापारियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- राजस्थान में ई-नाम पोर्टल से माह नवम्बर 2020 तक कुल 193 अंतर मण्डी लेन-देन किये गये हैं। इसमें व्यापारियों के माध्यम से राशि रु. 54.96 लाख मूल्य के तथा 1833 क्विंटल मात्रा के लेन-देन किये गये।
- राजस्थान में ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अन्य 6 राज्य (गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, आन्ध्र-प्रदेश एवं हरियाणा) के साथ कुल 11 लेन-देन किये गये हैं।
- राजस्थान में ई-नाम पोर्टल से अब तक 138 FPOs/FPCs को पंजीकृत किया गया। इनमें से सक्रिय 23 FPOs/FPCs के माध्यम से 45.19 लाख रु मूल्य (मात्रा 1172 क्विंटल) का व्यापार किया गया।

राजस्थान इन्टीग्रेटेड मण्डी मैनेजमेंट सिस्टम (रिम्स)

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए 'राजस्थान इन्टीग्रेटेड मण्डी मैनेजमेंट सिस्टम (रिम्स) परियोजना' संचालित है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कम्प्यूटराईज्ड गेटपास दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार ई-विक्रय पर्ची, अमानत पट्टी भी जारी कराई जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से कृषकों को उनकी जिन्स का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाये जाने के लिए ई-ऑक्शन एवं ई-भुगतान किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। मण्डी समितियों से जारी किये जाने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों को ऑनलाइन माध्यम से भरे जानी की व्यवस्था की गई है। मण्डी समिति में आने वाली कृषि जिन्सों की आवक व मूल्यांकन दर्ज कराया जाता है।

यह योजना 5 मण्डियों (खैरथल, चौमू, पीलीबंगा, भीलवाडा, उदयपुर (अनाज)) में पॉयलट तौर पर शुरू की गई थी। वर्तमान में ई-नाम की 25 मण्डियों के अतिरिक्त शेष सभी मण्डियों में इस परियोजना के माड्यूलस का उपयोग किया जा रहा है।

Core Modules -



उद्देश्य –

- किसानों के लिए विस्तृत बाजार उपलब्ध कराना
- मंडी भावों की सामयिक जानकारी
- गुणवत्ता परख रिपोर्ट ऑनलाइन करना
- मंडी गतिविधियों का पता लगाना तथा नवीनतम सूचना/जानकारी लेना
- मंडी समितियों के संचालन का प्रभावी अनुवीक्षण
- पारदर्शी ई-निलामी प्लेटफार्म
- मण्डी समितियों में कृषि जिन्सों के निर्धारित वास्तविक कीमतों की जानकारी मोबइल एप के माध्यम से प्राप्त करना

आवंटन नीति

- मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड/दुकान आवंटन हेतु आवंटन नीति दिनांक 26.04.2005 से प्रभावी।
- प्रथम चरण में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान।
- द्वितीय व अग्रिम चरणों का आवंटन – द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवंटन की दर विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समितियों के मुख्य मण्डी प्रांगण तथा 5 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के स्थित गौण मण्डी प्रांगणों में आरक्षित दर – डी.एल.सी. दर की शत-प्रतिशत पर तथा शेष अन्य मण्डी समिति के मुख्य/गौण मण्डी प्रांगणों में आरक्षित दर – डी.एल.सी.दर की 50 प्रतिशत होगी।
- मण्डी यार्डों में उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 20: दुकान महिला कृषकों के लिए आवंटन हेतु आरक्षित। इनमें से 30: भूखण्ड अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं हेतु आवंटन का प्रावधान। उक्त आरक्षित दुकानों/भूखण्डों में से 5 प्रतिशत दुकान/भूखण्ड विधवा कृषक महिलाओं के लिए आरक्षण एवं अनुज्ञापत्रधारी निःशक्तजन वर्ग हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज (HORIZONTAL) भूखण्ड आवंटन का प्रावधान।
- कुल उपलब्ध फुटकर दुकान/भूखण्डों में से 30: अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं 04 प्रतिशत क्षैतिज (HORIZONTAL) निशक्तजनों के लिए आरक्षण।
- जनजाति क्षेत्र में अवस्थित मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध एवं रिक्त दुकानों/भूखण्डों में से 15 प्रतिशत दुकानों/भूखण्डों का वन उपज/औषधि पादप/जड़ी बूटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों के लिए आरक्षण का प्रावधान, अन्य कृषि उपज मण्डी समितियों में 05 : आरक्षण।
- आवंटन 99 वर्षीय लीज पर आवंटित दुकान/भूखण्ड की छत का अधिकार आवंटी का।
- पूर्व में किराये पर दी हुई दुकानों को लीज में परिवर्तन का प्रावधान।
- जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों में लॉटरी प्रक्रिया से डी.एल.सी. की 50: दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान/कुल उपलब्ध भूखण्डों में से 25: भूखण्ड कृषि जिन्सों के निर्यातकों, राज्य से बाहर के व्यवसायी, जिन्स विशिष्ट की मूल्य संबंधी औद्योगिक ईकाई व उत्पादों के सीधे निर्यातकों हेतु भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान।
- कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पम्प एवं बड़े कृषि संबंधी व्यावसायिक शोरूम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान। कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों के उपयोग में आने वाले उत्पादों, यथा कृषि यन्त्रों, कृषि आदानों, ट्रैक्टर आदि के विक्रय में विशिष्टता रखने वाले रिटेल-चैन उद्यमों को भी मण्डी प्रांगणों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है।
- मण्डी की चारदिवारी पर गैर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक भूखण्डों का निलामी द्वारा निस्तारण एवं उक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 30 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान एवं 04 प्रतिशत क्षैतिज (HORIZONTAL) निशक्तजनों के लिए आरक्षण।
- क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दुकान/गोदाम हेतु भूखण्ड डी.एल.सी. की 25 प्रतिशत दर पर एवं निर्मित दुकान/गोदाम का आवंटन संबंधित मण्डी समिति में जिस दर पर प्रथम चरण का आवंटन किया गया था, उस दर पर आवंटन किया जावेगा।
- राज्य के मण्डी प्रांगणों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रेडिंग एवं स्टेण्डरडाईजेशन लेब, गुणवक्ता परीक्षण लेब, स्थापित किये जाने हेतु 15X20 वर्ग फुट साईज का भूखण्ड द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों की भौति आवंटित किये जा सकेंगे।
- प्रत्येक नवनिर्मित/विकसित किये जाने वाले मण्डी प्रांगणों में मण्डी समिति क्षेत्र के जैविक खेती के उत्पादक कृषकों के लिए दुकानों/भूखण्डों की संख्या न्यूनतम 10 होने की स्थिति में 01 भूखण्ड आरक्षण का प्रावधान।

- पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी, जिन्हें मण्डी समिति से सीधी खरीद का अनुज्ञापत्र प्राप्त हो, को आवंटन हेतु उपलब्ध दुकान/भूखण्डों में से 05 प्रतिशत दुकान/भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है।
- विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना – 2009

- राजीव गांधी कृषक साथी योजना दिनांक: 30.08.1994 से प्रारंभ हुई जो समय-समय पर किये गये संशोधन के साथ जारी है।
- योजना में किसान, खेतीहर मजदूर, मंडी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार, हम्माल को मृत्यु/अंग-भंग होने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- कृषकों को कृषि कार्य के दौरान कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए, फसलों पर रासायनिक दवा के छिड़काव के दौरान, कृषि प्रयोजनार्थ खेत पर आते/जाते समय, खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने, आकाशीय बिजली गिरने इत्यादि दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 2.00 लाख रू. एवं अंग-भंग में 5,000 से 50,000 रू. तक की सहायता राशि दी जाती है।
- आवेदन कर्ता को सहायता राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित कृषि उपजमंडी समिति में छः माह में करना होता है।
- इस बाबत गठित मंडी-स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के पश्चात् संबंधित मंडी समिति के सचिव द्वारा वैध दावेदार को 15 दिन में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।
- विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

किसान कलेवा योजना-2014

मण्डी प्रांगण में आने वाले कृषकों एवं मण्डी प्रांगण में कार्यरत पंजीकृत हम्माल को रियायती दर पर भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु-किसान कलेवा योजना-2014 से प्रारम्भ की गयी।

1.	योजना का नाम (हिन्दी में)	किसान कलेवा योजना-2014
2.	English में	Kisan Kaleva Yojana-2014
3.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशिष्ट श्रेणी, 'अ' व 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों (फल-सब्जी मण्डी समितियों को छोड़कर) में कृषि जिन्स विक्रय हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक व उसके सहयोगी को कूपन व्यवस्था के माध्यम से उस दिन सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "किसान कलेवा योजना" 2014 लागू की गई है।
4.	योजना प्रारम्भ करने की तिथि	21.12.2009 को "आपणी रसोई योजना" को संशोधित कर 20.01.2014 को "किसान कलेवा योजना" प्रारम्भ।
5.	लाभान्वित वर्ग	किसान एवं मण्डी समिति में पंजीकृत हम्माल
6.	पात्रता	मण्डी प्रांगण में अपनी कृषि उपज बेचने हेतु आने वाले कृषक एवं मण्डी प्रांगण में कार्यरत पंजीकृत हम्माल।
7.	योजना का लाभ जिन परिस्थितियों में देय होगा	मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय हेतु लाने वाले प्रत्येक कृषक को भोजन के दो कूपन तक मण्डी गेट पर वाहन की एन्ट्री करते समय दिये जाते हैं तथा मण्डी प्रांगण में कार्यरत पंजीकृत हम्माल को कार्य करने वाले दिवस हेतु भोजन कूपन दिये जाने का प्रावधान है।
8.	देय सुविधायें।	<p>योजना के अन्तर्गत एक थाली में निम्नलिखित प्रकार से भोजन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● चपाती 8 (250 ग्राम आटा) ● दाल एक कटोरी (125 ग्राम) ● सब्जी एक कटोरी (125 ग्राम) ● गुड़ 50 ग्राम (सर्दियों में -अक्टूबर से मार्च) ● छाछ 200 मिली. (गर्मियों में-अप्रैल से सितम्बर) <p>भोजन थाली का अधिकतम मूल्य 40.00 रु0 निर्धारित है। जिसमें से 35 रु0 मण्डी समिति द्वारा वहन किया जा रहा एवं 5 रु. में कृषक/हम्माल/मजदूर को भोजन की सुविधा दी जा रही है।</p>
9.	विस्तृत जानकारी	विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना-2015

- यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ है।
- कृषि उपज मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलारा को सहायता प्राप्त करने की पात्रता होने जिनकी अनुज्ञप्ति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कम से कम एक वितीय वर्ष पूर्व स्वीकृत की गयी हो और वे कृषि उपज मण्डी समिति में हम्माल एवं पल्लेदार का कार्य कर रहा है।
- योजनान्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदारों को दी जाने वाली सहायता में—महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूति तक प्रसूति सहायता तथा शिशु के हम्माल/तुलारा/पल्लेदार पिता को पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है, उनके मेघावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- गम्भीर बीमारियों (कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर किडनी) से पीडित मण्डी में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी (हम्माल पल्लेदार तुलारा) को सरकारी अस्पताल के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भी इलाज करवाये जाने पर बीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा तक चिकित्सा पुनर्भरण राशि देय है।
- विवाह सहायता अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी महिला की दो पुत्रियों की सीमा तक विवाह सहायता रू 50,000/—(रुपये पचास हजार) प्रति विवाह सहायता प्रदान की जाती है।
- विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

Chapter-XIII

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता की विशिष्टियां

क्र.स.	अनुज्ञापत्र का प्रकार	नियम	अनुज्ञापत्र आँथोरिटी
1	'क' वर्ग दलाल 'ख' वर्ग दलाल संयुक्त वर्ग व्यापारी वर्ग	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 69 सहपठित धारा 14 के तहत	कृषि उपज मण्डी समिति
2	तौला, हमाल, मापने वाले, सर्वेक्षक, भण्डागारकर्मी, रासयनिक जांच परीक्षणकर्ता	उपरोक्त	उपरोक्त
3	प्राइवेट निजी मण्डी यार्ड	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 72 सहपठित धारा 14 के तहत	निदेशक कृषि विपणन
4	प्राइवेट सब ई-मार्केट	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 56बी के तहत	निदेशक कृषि विपणन
5	एकल अनुज्ञापत्र – विशिष्ट अनुज्ञप्ति	राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के नियम, 1963 के नियम 63 एवं 63ए से 63पी के तहत	निदेशक कृषि विपणन

Chapter-XIV

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो

वेबसाईट – www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in

निदेशालय में निम्नांकित सूचनाएँ कम्प्यूटर से संधारित की जाती है—

1. कृषि जिन्सों के प्रतिदिन/सालभर के भाव
2. कृषि उपज मण्डी समितियों के मुख्य/गौण मण्डियों के नाम व टेलीफोन नम्बर
3. नागरिक अधिकार पत्र
4. नीति एवं योजनाएं
5. निदेशालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट
6. सूचना का अधिकार
7. अधिनियम एवं नियम
8. मार्केट रिफॉर्म्स

Chapter-XV

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यक्रम धंट सम्मिलित है।

विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं इसके अतिरिक्त होर्डिंग, बेनर्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट के द्वारा विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

Chapter-XVI

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टताएं

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विपणन विभाग के निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

लोक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न. एवं ई-मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1.	कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	0141	2227835	निदेशक, कृषि विपणन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विपणन विभाग के खण्ड स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये है।

क्र. स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न.एवं ई-मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1	कृषि विपणन विभाग, अजमेर खण्ड	उप निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, अजमेर	0145	2441891	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
2	कृषि विपणन विभाग, अलवर खण्ड	उप निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, अलवर	0144	2372379	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
3	कृषि विपणन विभाग, बीकानेर खण्ड	संयुक्त निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, बीकानेर	0151	2250939	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
4	कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ खण्ड	उप निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, हनुमानगढ	01552	265441	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
5	कृषि विपणन विभाग, जयपुर खण्ड	संयुक्त निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, पंत कृषि भवन जयपुर	0141	2330113	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
6	कृषि विपणन विभाग, जोधपुर खण्ड	संयुक्त निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, जोधपुर	0291	2574178	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
7	कृषि विपणन विभाग, कोटा खण्ड	संयुक्त निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, कोटा	0744	2364022	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
8	कृषि विपणन विभाग, सीकर खण्ड	उप निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, सीकर	01572	245661	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
9	कृषि विपणन विभाग, श्रीगंगानगर	संयुक्त निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, श्रीगंगानगर	0154	2471885	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
10	कृषि विपणन विभाग, उदयपुर खण्ड	उप निदेशक, कार्यालय कृषि विपणन विभाग, उदयपुर	0294	2583254	निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 की उपधारा (1)के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति स्तर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

क्र.स.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी व पता	दूरभाष नम्बर/फैक्स न. एवं ई-मेल पता		अपीलीय अधिकारी
1	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर (फ.स.)	0145	2440146	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
2	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर (अनाज)	0145	2440718	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
3	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर	01462	224893	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
4	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाडा	01482	220168	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
5	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, विजयनगर	01462	230037	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
6	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बिजौलिया	01489	236035	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
7	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, देवली	01434	232044	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
8	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, दूनी			प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
9	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर	01481	220084	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
10	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, केकडी	01467	220127	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
11	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज किशनगढ	01463	243319	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
12	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा	01437	225717	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
13	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ	01489	230031	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
14	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई	01438	222031	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति

87	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी	0747	2443704	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
88	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, छबडा	07452	222257 222265	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
89	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला	07435	284249	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
90	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, देई	07463	232454	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
91	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुरसिटी	07463	232454	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
92	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन	07469	209615	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
93	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, ईकलेरा	07431	273202	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
94	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, ईटावा	07458	225228	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
95	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, झालरापाटन	07432	240023	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
96	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, केशोरायपाटन	07438	264243	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
97	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर	07430	261225	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
98	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (अनाज)	0744	2490475	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
99	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा (फल सब्जी)	0744	2490674	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
100	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, रामगंजमण्डी	07459	220051	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
101	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर	07462	234142	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
102	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज	07458	253815	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
103	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, चिडावा	01596	220075	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
104	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, डीडवाना	01580	220012	प्रशासक / चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति

123	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, पदमपुर	01505	222028	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
124	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, रायसिंहनगर	01507	220054	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
125	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, रावला	01506	263040	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
126	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, रिडमलसर	01505	241239	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
127	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर (फ. स.)	0154	2484621	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
128	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर (अनाज)	0154	2470621	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
129	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीकरणपुर	01501	226018	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
130	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीविजयनगर	01498	231732	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
131	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड	02974	222170	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
132	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बांसवाडा	02962	243254	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
133	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बडीसादडी	01473	264243	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
134	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, छोटीसादडी	01473	262446	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
135	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, बैगू	01474	220112	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
136	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, चित्तौडगढ	01472	241270	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
137	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, डूंगरपुर	02964	232578	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
138	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, फतेहनगर	02955	220052	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
139	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, कपासन	01476	230236	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
140	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहैडा	01477	220040	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति

141	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ	01478	222097	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
142	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, राजसमन्द	02952	230245	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
143	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (अनाज)	0294	2486127	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति
144	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर (फल सब्जी)	0294	2584054	प्रशासक/चेयरमेन, कृषि उपज मण्डी समिति

Chapter-XVII

ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्ग निर्देशिका संशोधित कर प्रकाशित की जाती है। इस निर्देशिका की प्रति संबंधित सभी कार्यालयों एवं मांग पर सूचना चाहने वाले आवेदकों को भी उपलब्ध कराई जाती है। यह निर्देशिका वेबसाइट www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।